राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 52 / 2019

GCMS No. 2019/00068

मातुराम शर्मा पुत्र भींवाराम उम्र 67 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. इन्द्रा देवी पत्नी राधेश्याम उम्र 73 वर्ष
2. प्रदीप पुत्र राधेश्याम उम्र 30 वर्ष
3. विकास पुत्र राधेश्याम उम्र 32 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. पिंकी पुत्री राधेश्याम पत्नी सुरेन्द्र उम्र 38 वर्ष
5. सुमन पुत्री राधेश्याम पत्नी राकेश उम्र 35 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी हाल जाखल कॉलोनी रेल्वे स्टेशन के पास, नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
6. ख्यालीराम पुत्र जगनाराम उम्र 67 वर्ष
7. कमल कुमार पुत्र जगनाराम उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. पाना द`वी पुत्री जगनाराम पत्नी ख्यालीराम उम्र 71 वर्ष
9. गिन्दो देवी पुत्री जगनाराम पत्नी बजरंगलाल उम्र 65 वर्ष
10. दुर्गीदेवी पुत्री जगनाराम पत्नी सम्पतराम उम्र 63 वर्ष
11. शारदा देवी पुत्री जगनाराम पत्नी नथमल शर्मा उम्र 61 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ब्राहमणों की ढाणी (वास) देवरोड़ वाया चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
12. सुरेश पुत्र गजानन्द उम्र 55 वर्ष
13. दिनेश पुत्र गजानन्द उम्र 53 वर्ष
14. अशोक पुत्र गजानन्द उम्र 50 वर्ष
15. हरफूल पुत्र भिंवाराम उम्र 64 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन एवं नाम दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:16 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक 16–12–2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस [illegible] 2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम रसूलपुर [illegible] खेतड़ी स्थित भूमि [illegible] संख्या 292 खसरा नंबर 313, 318, 319, 330 कुल किता [illegible] कुल रकबा 6.65 है. [illegible]

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि मातादीन पुत्र भींवा के स्थान मातुराम शर्मा पुत्र भींवाराम दुरूस्त किया जाकर वादी का 1/6 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 12 से 14 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 15 का 1/6 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/2040 दिनांक 08.06.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08--06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–7'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:08:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

मातुराम शर्मा

ब–ना–म

इन्द्रा देवी आदि

ा बाबत **खाता विभाजन एवं नाम दुरूस्ती**

ुदमा नम्बर :– **52/2019**

ीय दिनांक :– **16–12–2022**

वादी की ओर से **श्री राजेश कुमार गुप्ता एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री ोन्द्र सैनी व श्री पियूष सुरोलिया एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **-12–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और ी दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. -7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–06–2022 र्श–"अ–1 लगा. अ–7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **16–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:48:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner